झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8 / ज॰ सं॰(नि॰) सु॰परि॰–7–08 / 2014– राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विशवम्भर चौबे ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2 चाण्डिल के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री विशवम्भर चौबे के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री विशवम्भर चौबे से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार सिन्हा विभागीय जांच पदाधिकारी, भा॰ प्र॰ से॰ (सेवा निवृत) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री विनय कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2 चाण्डिल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–

श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जांच पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग।

श्री विनय कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰–2, चाण्डिल।

श्री विशवम्भर चौबे, तत्॰ कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2, चाण्डिल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–   /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि–अनुबंध की प्रति के साथ श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा॰ प्र॰ से॰ (सेवा निवृत) विभागीय जांच पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री विनय कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰–2, चाण्डिल/श्री विशवम्भर चौबे, तत्॰ कार्यपालक अभियंता, मोहल्ला– जिलानपाड़ा, पो॰+ थाना– दुमका, जिला– दुमका, पिन– 814101 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2–जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निषादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।   ह0/–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4773   / राँची, दिनांक – 7-9-15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, रांची/ मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2 चाण्डिल को सूचनार्थ/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/08/2015

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।